

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, January 25, 2000/Magha 06, 1921 (Saka)

No. 65.

Hon'ble Members are informed that in pursuance of an amendment to a Bill adopted by the House, the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly has constituted a Select Committee consisting of 7 members under the Chairmanship of Dr. Kiran Walia, MLA to examine the various aspects of "The Delhi Plastic(Manufacture, Sale and Usages) and Non-Biodegradable Garbage (Control) Bill, 1999" and submit its report to the House.

The Committee in its meeting held on 21.1.2000 has desired that all the members of the Legislative Assembly be requested to send their comments/suggestions if any, in respect of the bill to the Secretary, Legislative Assembly within 10 days of the receipt of this Bulletin which shall be placed before the Committee for its consideration.

Hon'ble Members are, therefore, requested to send their comments/suggestions, if any, latest by 5th February, 2000 positively.

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य सूचना §
मंगलवार, 25 जनवरी, 2000 / माघ 06, 1921 §शक§

संख्या : 65

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सदन द्वारा स्वीकृत एक विधेयक के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने डा. किरण वालिया, विधायक के सभापतित्व में "दिल्ली प्लास्टिक §उत्पाद, बिक्री और प्रयोग§ एवं गैर-अवक्रमित कूड़ा-कचरे §नियंत्रण§, विधेयक, 1999" के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने हेतु एक सात सदस्यीय पुरर समिति का गठन किया है और सदन के समक्ष उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है ।

समिति ने 21. 1. 2000 को हुई अपनी बैठक में यह इच्छा व्यक्त की कि विधान सभा के सभी सदस्यों से यह अनुरोध किया जाए कि वे विधेयक के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव यदि कोई हों, तो सचिव, विधान सभा को इस समाचार के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर भेज दें जो समिति के विचारार्थ रखा जाएगा ।

अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव 5 फरवरी, 2000 तक निश्चित तौर पर सचिवालय को भेजने का कष्ट करें ।

एस. के. शर्मा
सचिव